

संख्या-263/एक-10-2021-33(06)/2020

प्रेषक,
संजय गोयल,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 17/02/2021

विषय:- कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिए कार्यरत कार्मिकों की संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को ₹० 50,00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-855/मु० रा० ले०-देवैयी आपदा, दिनांक-25.01.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-249/एक-11-2020-04(जी)/2015-टी० सी०, दिनांक 11.04.2020 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में कोविड-19 की रोकथाम एवं उसके बचाव के लिए कार्यरत श्री राजकुमार, मुख्य आरक्षी डायल-112, थाना-बी० बी० नगर, जनपद-बुलन्दशहर की इयूटी के दौरान कोविड-19 के संक्रमण से हुई मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए **वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹० 50,00,000/- (रुपये पचास लाख मात्र) की धनराशि** निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी, अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने की शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही

भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(3) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदुसार धन उत्पन्न कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना एवं व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। प्रदत्त धनराशि का पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा- जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2021 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाय।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फंड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फंड से व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फंड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,
Digitally signed by संजय
गोयल
Date: Wed Feb 17 18:23:48 IST
2021
Reason: Approved

(संजय गोयल)

सचिव।

संख्या-263(1)/एक-10-2021-33(06)/2020, तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-